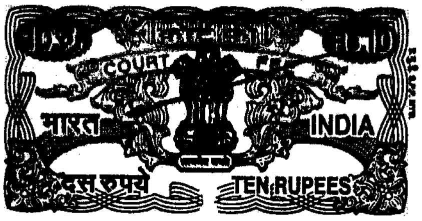

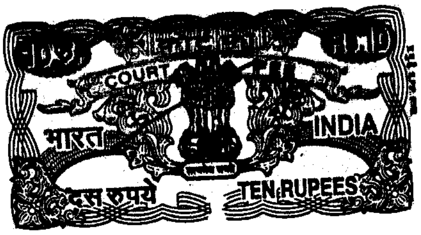

<u>न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल</u>

प्रकरण क्रमांक : ..../2015
निगरानी 2499-PBR-15

01. **संतोष कुमार**, वयस्क
02. **मुकेश**, वयस्क
03. **विष्णु**, वयस्क
04. **महेश**, वयस्क

पुत्रगण स्व. श्री तोताराम,
कृषक एवं निवासी – ग्राम सिकन्दराबाद,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल .... **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल .... **प्रतिप्रार्थीगण**

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.14 जो प्रकरण क्र. 43/अ–6–अ/12–13 में न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित किया गया</u>

श्री नीरज श्रीवास्तव

संतोष / शासन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 2499—अध्यक्ष / 15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4—8—2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13—10—14 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन पर अपर तहसीलदार से यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि बंदोबस्त के दौरान तैयार की गई नंबरिग सूची में सुधार करने की अधिकारिता है अथवा नहीं ? प्रस्तावित सुधार किन नियमों के तहत किया जा सकता है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के अनुकूल प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	